

Annexure “A”

अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शागुन योजना के अन्तर्गत  
अनुदान हेतु आवेदन पत्र

सेवा में

जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी-----

निवेदन है कि मेरी लड़की की शादी दिनांक----- को  
होनी निश्चित हुई है। आपसे अनुरोध है कि मुझे इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शागुन योजना के अन्तर्गत  
रु0 का अनुदान स्वीकृत करने का कष्ट करें। मेरा ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1. (अ) लड़की का नाम जिसकी शादी है-----  
(ब) जन्म तिथि-----

2. पिता का नाम-----

3. जाति-----

4. वर्ग (अनुसूचित जात/ पिछड़े वर्ग/ सामान्य वर्ग)-----

5. पूरा स्थाई पता-----

-----  
6. शादी की तारीख-----

7. भावी वर तथा उसके पिता का नाम व पूरा  
पता-----

-----  
8. लड़की के परिवार का व्यवसाय(यदि सरकारी नौकरी में है तो पद का  
नाम)-----

9. गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज है अथवा  
नहीं-----

10. यदि किसी अन्य लड़की की शादी के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत पहले अनुदान प्राप्त किया  
है

उसका  
नाम-----

घोषणा:-

मैं सत्यापित करता/ करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी उपरान्त कोई भी तथ्य  
गलत पाया जाता है तो मैं यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माने सहित वापिस कर दूंगा/ दूंगी

| यदि कालम न0 6 में दर्शाई गई तारीख को शादी सम्पन्न नहीं होती तो मैं सारी राशि वापिस करने की जिम्मेवारी लेता हूं/लेती हूं ।

हस्ताक्षर / अंगूठा निशान  
माता—पिता / अभिभावक

सत्यापनः—

मैं श्री————पुत्र  
श्री————  
पिता————जाति————गांव———— को  
व्यक्तिगत

रूप से जानता हूं जो कि शादी के अनुदान के लिये आवेदन कर रहा है । आवेदक द्वारा जो तथ्य दिये गये हैं, वे ठीक हैं ।

सरपंच / नम्बरदार /

हस्ताक्षर

पटवारी / नगरपार्षद

मोहर सहित